कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर डी.बी.स्पेशल अपील रिट संख्या 1727/2019 सुमन बाला शर्मा, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मिलकपुर तुर्क जिला अलवर बनाम सरकार प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकः 18.12.2019 द्वारा अपीलार्थी श्रीमती सुमन बाला शर्मा को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था जिसकी अनुपालना में उनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 20.01.2020 द्वारा खारिज किया गया।

श्रीमती सुमन बाला शर्मा द्वारा पुनः अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपने पति के मानसिक रोग से ग्रस्त होने के आधार पर अपना पदस्थापन दिनांकः 31.08.2020 को रिक्त होने वाले प्रधानाचार्य के पद राउमावि रेल्वे स्टेशन जिला अलवर में किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में पुनः परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देश दिनांक 24.09.2019 जो पूर्व के समस्त दिशा–निर्देशों के अधिक्रमण में जारी किये गए हैं, के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों, पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता, शहीद की वीरांगना से प्राप्त आवेदनों में रिक्त पद पर प्राथमिकता से स्थानान्तरण किये जाने के निर्देश प्राप्त थे। याचिकार्थी द्वारा पति के मानसिक रोग के आधार पर अनुतोष चाहा गया है जो कि देय नहीं है।

अपीलार्थी को अलवर जिले में निकटस्थ स्थान पर ही पदस्थापित किया गया है, किसी अन्य जिले में नहीं। अपीलार्थी राज्य सेवा की अधिकारी हैं और उन्हें विभागीय प्राथमिकता, प्रशासनिक आवश्यकता, राज्य अथवा विद्यार्थी हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती।

उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी श्रीमती सुमन बाला शर्मा द्वारा की गई मांग उचित नहीं होने के कारण उनके अभ्यावेदन को खारिज किया जाकर पुनर्निस्तारण किया जाता है जिसके फलस्वरूप श्रीमती सुमन बाला शर्मा राउमावि मिलकपुर तुर्क जिला अलवर में प्रधानाचार्य के पद पर पूर्ववत कार्यरत रहेंगी।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/डी.बी अपील/सुमनबाला/1727/2019 दिनांकः 25-8-2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक अलवर।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारीं, तिजारा जिला अलवर।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्रीमती सुमन बाला शर्मा, प्रधानाचार्य, राउमावि मिलकपुर तुर्क, तिजारा, अलवर।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)